संचिका संख्या–10 / विविध–15–02 / 2014– 807(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 16/10/2015

विभागीय राज्यादेश संख्या–378(10), दिनांक–21.07.2014 से राज्य चिकित्सा सेवा संवर्ग का पुनर्गठन किया गया है । कार्य के आधार पर पुनर्गठन के फलस्वरूप कुछ पदनाम नये हो गये हैं, जिससे उक्त पदों पर पदस्थापित पदाधिकारियों का वेतन भुगतान में कठिनाई हो रही है । अतएव इसके समाधानार्थ संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य की अध्यक्षता में दिनांक–13.08.2015 को संपन्न बैठक की कार्यवाही के आधार पर अधोलिखित निर्णय लिया जाता है:–

(1)(क) पूर्व से सृजित पदों का पुनर्गठन अंतर्गत नवसृजित / नामित पदों में समेकित / अंतर्लिन किया जाता है:–

क्रमांक	पूर्व का सृजित पद	पुनर्गठन अंतर्गत नव सृजित / नामित पद
1.	जिला मलेरिया पदाधिकारी	जिला वेक्टर बॉर्न डिजिज पदाधिकारी
2.	जिला फाइलेरिया पदाधिकारी	
3.	जिला यक्ष्मा पदाधिकारी	अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, संचारी रोग
4.	जिला कुष्ठ पदाधिकारी	

(ख) पुनर्गठन अंतर्गत नव सृजित / नामित पदों का वेतन भुगतान निम्नांकित शीर्ष / उपशीर्ष से की जायेगी:–

क्रमांक	पुनर्गठन अंतर्गत नवसृजित / नामित पद	संबंधित शीर्ष / उपशीर्ष
1.	जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी	मुख्य शीर्ष–2211–परिवार कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–0104– स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन, विपत्र कोड–N2211000010104
2.	जिला वेक्टर बॉर्न डिजिज पदाधिकारी	मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–06–लोक स्वास्थ्य, लघु शीर्ष–101–रोगों का निवारण एवं नियंत्रण, उप शीर्ष–0003–राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, विपत्र कोड– N2210061010003
3.	अपर उपाधीक्षक–सह– सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, संचारी रोग	मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–एलोपैथी, लघु शीर्ष–200–अन्य स्वास्थ्य योजनायें, उप शीर्ष–0002–कुष्ठ निरोध कार्यक्रम, विपत्र कोड– N2210012000002

2– पूर्व की भाँति इन शीर्षों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे।

3– प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

4– यह तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16/10/2015

(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

E-Dep-10-A.K.. Notification(2)

ज्ञापांक–10 / विविध–15–02 / 2014 807(10) पटना, दिनांक– 16/10/2015

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/विकास आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं/ सभी सिविल सर्जन/सभी कोषागार/सभी उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 10 एवं आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

16/10/15

सरकार के संयुक्त सचिव ।